[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, sub-section (ii)]

Government of India Ministry of Corporate Affairs NOTIFICATION

New Delhi, the 03 February, 2020

S.O. _____(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 3 day of February, 2020 as the date on which the provisions of sub-sections (11) and (12) of section 230 of the said Act shall come into force.

[F. No. 2/31/CAA-2013-CL-V (Part)]

(K.V.R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3 और उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 💋 फ़रवरी, 2020

का.आ.____(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 03 फ़रवरी, 2020 को वह तारीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (11) और उपधारा (12) के उपाबंध प्रवृत्त होंगे।

[फाइल.सं.2/31/सीएए/2013-सीएल-V(भाग)]

के.बी.आर.मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार